IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ-226001

भारतीय मानक ब्यरो IS 15700

मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्र संख्या 05. /ए-2/631 दिनांक 02.01.2024

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	परियोजना आई0डी0नं0	योजना का नाम	परियोजना की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक
1	046161	जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0-11, मेरठ के सेक्टर-5 में 31/63 प्रकार के 19 नग सेमीफिनिश्ड भवनों का निर्माण कार्य।	96.64	101/67/2023-24

1. कार्य की ई-निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए एवं परिषद की बेवसाइट पर प्रसारित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
3. समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
4. स्वीकृत परिकल्पना की समस्त शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्राक्कलन में ली गयी दरों/बाजार दरों को आधार नहीं माना जायेगा। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
6. कार्यो में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सक्षम स्तर/परिषद में एप्रूब्ड ब्राण्ड के अनुसार प्रयोग की जाये। यदि किसी सामग्री का परिषद द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड नही है तो कम से कम तीन ख्याति प्राप्त निर्माताओं की सामग्री का उल्लेख बी0ओ0क्यू0 में अवश्य किया जाये।
7. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. खण्ड द्वारा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
10. एन0जी0टी0 सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन किये जाने का उत्तदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
11. कार्य 12 माह में अवश्य पूर्ण कर लि या जाये।
12. निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
13. निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता का अवश्य परीक्षण करा लिया जाये एवं उचित गुणवत्ता के पानी का प्रयोग किया जाये।
14. प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष धनराशि का प्राविधान कर लिया जाये।
15. प्रस्तावित खोले जाने वाले पंजीकरण में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1.1.24

(आर0सी0 यादव)

कृ अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-03, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।

1.1.24

कृ अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)